

दक्ष®

राजस्थान कर्मचारी
चयन बोर्ड
(RSSB)
द्वारा आयोजित



Complete Notes for
CET
Graduation Level

छन्दौ

Graduation Level

कनिष्ठ लेखाकार (Jr. Accountant), पटवारी, महिला पर्यवेक्षक,
प्लाटून कमांडर, जिलेदार, उप-जेलर, छात्रावास अधीक्षक-II

Buy Online at : WWW.DAKSHBOOKS.COM

आचार्य संदीप मालाकार

प्रकाशक :

परितोष वर्धन जैन

कॉलेज बुक सेन्टर

- A-19, सेठी कॉलोनी,
जयपुर-302 004

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

लेजर टाइपसैटिंग :



पूजा एण्टरप्राइजेज़

जयपुर

मुद्रक :

के.डी. प्रिन्टर्स

जयपुर।



आचार्य संदीप मालाकार

आचार्य संदीप मालाकार की स्नातकोत्तर शिक्षा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान त्रिवेणी नगर जयपुर से हुई। इन्होंने शास्त्री (2001), आचार्य (2004), शिक्षा शास्त्री (2003), में करने के बाद NET (73) कोड से (2007) में उत्तीर्ण की। इनकी हिन्दी व संस्कृत व्याकरण व साहित्य पर विशेषज्ञता है। इनका विभिन्न B.Ed. महाविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों का अध्यापन अनुभव 15 वर्षों का है। इसके अतिरिक्त इन्होंने विगत 10 वर्षों से संस्कृत व हिन्दी विषय से सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकों का लेखन कार्य किया है जिससे अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र लाभान्वित हुये हैं। यह पुस्तक भी CET के छात्रों हेतु विशेष रूप से उपयोगी होगी तथा इसे पढ़कर छात्र अवश्य सफल होंगे।

- प्रकाशक की अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भी अंश का किसी भी प्रणाली के सहारे पुनःउत्पत्ति का प्रयास अथवा किसी भी तकनीकी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फॉटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, डिजिटल, वेब) के माध्यम से अथवा इस पुस्तक का नाम, टाईटल, चित्र, रेखाचित्र, नक्शे, डिजाइन, कवर डिजाइन, सैटिंग, शिक्षण-सामग्री, विषय-वस्तु, पूर्ण या आशिक रूप से किसी भी भाषा में हूबहू या तोड़-मरोड़ कर या अदल-बदल कर प्रकाशन या वितरण नहीं किया जा सकता है। इस पुस्तक के प्रतिलिप्याधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं।
- पुस्तक का कम्पोजिंग कार्य कम्प्यूटर द्वारा कराया गया है। पुस्तक के लेखन व प्रकाशन कार्य में लेखक, प्रूफ रीडर, कम्प्यूटर औपरेटर एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरतने के बावजूद भी अधूरी या पुरानी जानकारी का होना/कुछ गलतियाँ/कमियाँ का रह जाना मानवीय भूलवंश सम्भव है, जिसके लिए पुस्तक प्रकाशन से जुड़े मुद्रक, लेखक एवं प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे। पाठकों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं।
- सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जयपुर (राज.) होगा।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

पाठ्यक्रम

समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)

Common Eligibility Test (CET)

● सामान्य हिन्दी ●

बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम-2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं—

क्र.सं.	सेवा का नाम	पद का नाम
1.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा	प्लाटून कमांडर
2.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा	1. जिलेदार 2. पटवारी
3.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	कनिष्ठ लेखाकार
4.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा	तहसील राजस्व लेखाकार
5.	राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा	पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता)
6.	राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा	पर्यवेक्षक
7.	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा	उप-जेलर
8.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II

परीक्षा की स्कीम

विषय विवरण	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, कम्प्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएँ	150	300	03:00Hr

- नोट**— 1. सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
2. इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन (Negative marking) नहीं किया जायेगा।

:: सामान्य हिन्दी ::

- सन्धि व संधि विच्छेद
- संज्ञा
- सर्वनाम
- विशेषण
- क्रिया
- क्रियाविशेषण
- कारक
- अव्यय
- समास, भेद, सामासिक पदों की रचना व विग्रह
- उपर्युक्त
- प्रत्यय
- विलोम शब्द
- पर्यायवाची शब्द
- अनेकार्थक शब्द
- विराम चिह्न
- ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण
- पारिभाषिक शब्दावली (अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द)
- शब्द-शुद्धि (अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण)
- वाक्य-शुद्धि (अशुद्ध वाक्यांश का शुद्धीकरण)
- मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ
- राजभाषा हिन्दी - संवैधानिक स्थिति
- पत्र एवं उसके प्रकार (कार्यालयी पत्र के प्रारूप के विशेष सन्दर्भ में)

WWW.DAKSHBOOKS.COM

Code No.: D-654

अनुक्रमणिका

अध्याय नं.	अध्याय/विषय का नाम	पृष्ठ संख्या
1	सन्धि व संधि विच्छेद	1
	❖ व्यंजन-संधि के परीक्षोपयोगी उदाहरण व तालिका	10
	❖ विसर्ग-संधि के परीक्षोपयोगी उदाहरण व तालिका	11
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	12
2	संज्ञा	19
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	22
3	सर्वनाम	25
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	27
4	विशेषण	31
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	35
5	क्रिया	40
	❖ क्रिया के भेद सम्बन्धी तालिका	44
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	46
6	क्रियाविशेषण	50
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	50
7	कारक	52
	❖ 'कारक' प्रकरण पर आधारित महत्वपूर्ण विषय सामग्री	54
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	57
8	अव्यय	66
	❖ अव्यय भेद तालिका	68
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	69
9	समास, भेद, सामासिक पदों की रचना व विग्रह	75
	❖ 'समास' व समास विग्रह हेतु महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तालिका	83
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	90
10	उपसर्ग	95
	❖ अन्य महत्वपूर्ण उपसर्ग	97
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	98
11	प्रत्यय	104
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	109
12	विलोम शब्द	113
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	114

अध्याय नं.	अध्याय /विषय का नाम	पृष्ठ संख्या
13	पर्यायवाची शब्द	120
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	123
14	अनेकार्थक शब्द	128
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	130
15	विराम चिह्न	133
	❖ विरामचिह्नों के प्रयोग और नियम	133
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	135
16	ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण	139
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	147
17	पारिभाषिक शब्दावली (अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द)	149
	❖ पारिभाषिक शब्दावली	149
	❖ संक्षेपाक्षर (Abbreviation)	157
	❖ स्नातकोत्तर उपाधियाँ (Master's Degrees)	158
	❖ प्रमाण-पत्र (Certificates)	159
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	159
18	शब्द-शुद्धि (अशुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण)	165
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	173
19	वाक्य-शुद्धि (अशुद्ध वाक्यांश का शुद्धीकरण)	176
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	183
20	मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ	188
	❖ मुहावरे : अर्थ, परिभाषा व वाक्य प्रयोग	188
	❖ लोकोक्तियाँ अर्थ, परिभाषा व वाक्य प्रयोग	195
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	203
21	राजभाषा हिन्दी - संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद 343 से 351 तक)	208
	❖ राजभाषा हिन्दी संबंधी विभिन्न समितियाँ	211
	❖ राजभाषा अधिनियम, 1963	213
	❖ 04 राजभाषा नियम, 1976 में 'क', 'ख' और 'ज' क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन और हिन्दी प्रसार कार्यक्रम	214
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	221
22	पत्र एवं उसके प्रकार (कार्यालयी पत्र के प्रारूप के विशेष सन्दर्भ में)	224
	❖ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर	249

1

सन्धि व संधि विच्छेद

1. सन्धि के प्रकार एवं उदाहरण

संधि का अर्थ होता है—जुड़ना। वर्णों के परस्पर मेल (जुड़ने) पर उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं—स्वर, व्यंजन व विसर्ग।

1. स्वर संधि

स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वरों की जातीयता व भिन्नता के आधार पर स्वर संधि के निम्न उपभेद किये जाते हैं—दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि।

स्वर संधि को स्पष्ट करने के लिए स्वरों के बारे में जानना आवश्यक है। हिन्दी में मूलतः 11 स्वर होते हैं। ये इस प्रकार हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

रचना या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं—(1) मूल स्वर (2) संधि स्वर। जिस स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। हिन्दी में इनकी संख्या चार है—(1) अ (2) ई, (3) उ तथा (4) ऋ। मूल स्वरों के मेल से बने स्वरों को संधि स्वर कहा जाता है। इनमें रचना की दृष्टि से 2 भेद हो सकते हैं।

1. दीर्घ स्वर
2. संयुक्त स्वर।

1. दीर्घ स्वर—जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। हिन्दी में 3 दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, ऊ। इनकी रचना निम्न प्रकार हुई है—

$$\text{अ} + \text{अ} = \text{आ} \quad \text{ई} + \text{ई} = \text{ई} \quad \text{उ} + \text{उ} = \text{ऊ}$$

2. संयुक्त स्वर—जब दो भिन्न-भिन्न स्वर मिलते हैं तो एक नया स्वर बनता है। इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। हिन्दी में ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त

1. अ+अ=अ

शब्द	संधि-विच्छेद
अंत्याक्षरी	अंत्य + अक्षरी
अभ्यारण्य	अभ्य + अरण्य
सूर्यास्त	सूर्य + अस्त
रामावतार	राम + अवतार
वचनामृत	वचन + अमृत
नियमानुसार	नियम + अनुसार
मतानुसार	मत + अनुसार
सावधान	स + अवधान
स्वार्थ	स्व + अर्थ
रुद्राक्ष	रुद्र + अक्ष

2. अ+आ=आ

शब्द	संधि-विच्छेद
अल्पाहार	अल्प + आहार

अल्पायु

रत्नाकर	रत्न + आकर
पुस्तकालय	पुस्तक + आलय
शिवालय	शिव + आलय
सत्याग्रह	सत्य + आग्रह
शुभारम्भ	शुभ + आरम्भ
कुशासन	कुश + आसन

3. आ+अ=आ

शब्द	संधि-विच्छेद
आत्मावलोकन	आत्मा + अवलोकन
विद्यार्थी	विद्या + अर्थी
शिक्षार्थी	शिक्षा + अर्थी
वर्षान्त	वर्षा + अन्त
मायाधीन	माया + अधीन
दीक्षान्त	दीक्षा + अन्त

स्वर हैं। मात्रा की दृष्टि से इन्हें भी दीर्घ स्वरों की भाँति माना जाता है। इनकी रचना निम्न प्रकार से हुई है—

$$\text{अ}/\text{आ} + \text{इ} = \text{ऐ}$$

$$\text{अ}/\text{आ} + \text{उ} = \text{ओ}$$

$$\text{अ}/\text{आ} + \text{ओ} = \text{औ}$$

संयुक्त स्वरों को संध्यक्षर भी कहते हैं। मूल स्वरों के उच्चारण में जिह्वा अचल रहती है, जबकि संयुक्त स्वरों के उच्चारण में चल। संयुक्त स्वर के उच्चारण में जिह्वा भी सरकती रहती है इसलिए संयुक्त स्वर को विसर्प (glide) भी कहते हैं।

जिह्वा के आधार पर स्वरों को तीन भागों में वर्गीकृत किया है—

स्वर के उच्चारण में जिह्वा का जो भाग अधिक क्रियाशील रहता है, इस आधार पर स्वरों के निम्न तीन भेद होते हैं—

$$(1) \text{ अग्र स्वर}—\text{इ}, \text{ई}, \text{ए}, \text{ऐ}, \text{ऋ}$$

$$(2) \text{ मध्य स्वर}—\text{अ},$$

$$(3) \text{ पश्च स्वर}—\text{आ}, \text{उ}, \text{ऊ}, \text{ओ}, \text{औ}$$

स्वर तंत्रियों या कम्पन के आधार पर स्वरों के निम्न तीन भेद होते हैं—

(1) घोष स्वर—जब उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन/तनाव उत्पन्न हो।

(2) अघोष स्वर—जब उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन/तनाव उत्पन्न नहीं हो।

(3) मर्मर स्वर—घोष व अघोष स्वर के मध्य की स्थिति।

हिन्दी में सभी स्वर घोष माने जाते हैं।

दीर्घ संधि—जब दो समान स्वर अथवा एक ही स्वर के दो रूप मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बनता है। इस संधि में निम्नानुसार ध्वनि परिवर्तन होता है—

विद्याभ्यास

सेनाध्यक्ष

4. आ+अ=आ

शब्द

दयानंद

कृपाकांक्षी

मिथ्याचार

लीलागार

लोपामुद्रा

वार्तालाप

5. इ+ई=ई

शब्द

अतीव

कवीन्द्र

प्रतीति

संधि-विच्छेद

दया + अनंद

कृपा + आकांक्षी

मिथ्या + आचार

लीला + आगार

लोपा + आमुद्रा

वार्ता + आलाप

संधि-विच्छेद

अति + इव

कवि + इन्द्र

प्रतीति

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

सामासिक पद	समास विग्रह
शताब्दी	शत (सौ) अब्दों (वर्षों) का समाहार
पंचपात्र	पाँच पात्रों का समाहार
पंचटी	पाँच वटों का समाहार
षट्भुज	षट् (छ:) भुजाओं का समाहार
सप्ताह	सप्त अहन् (सात दिनों) का समाहार
सतसई	सात सौ का समाहार
सप्तशती	सप्त शतकों का समाहार
सप्तर्षि	सात ऋषियों का समूह
अष्ट-सिद्धि	आठ सिद्धियों का समाहार
नवरत्न	नौ रत्नों का समूह
नवरात्र	नौ रात्रियों का समाहार

5. ढंड समास

जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने में दोनों पदों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो तो उसे द्वन्द्व समास कहते हैं। द्वन्द्व का अर्थ दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात् जोड़ा होता है। जैसे—

समस्त पद	विग्रह	समस्त पद	विग्रह
राधा-कृष्ण	राधा और कृष्ण	राजा-रंक	राजा और रंक
दाल-रोटी	दाल और रोटी	राम-लक्ष्मण	राम और लक्ष्मण
आटा-दाल	आटा और दाल	दाल-चावल	दाल और चावल
माँ-बाप	माँ और बाप	सुख-दुःख	सुख और दुःख
छोटा-बड़ा	छोटा और बड़ा	लोभ-मोह	लोभ और मोह
पृथ्वी-आकाश	पृथ्वी और आकाश	नदी-नाले	नदी और नाले
धनी-मानी	धनी और मानी	भीम-अर्जुन	भीम और अर्जुन
पूर्व-पश्चिम	पूर्व और पश्चिम	बच्चे-बूढ़े	बच्चे और बूढ़े
दूध-दही	दूध और दही	दाल-भात	दाल और भात
राजा-प्रजा	राजा और प्रजा	जल-थल	जल और थल
ऊँच-नीच	ऊँच और नीच	भला-बुरा	भला और बुरा
अमीर-ग़रीब	अमीर और ग़रीब	पाप-पुण्य	पाप या पुण्य
धर्म-अधर्म	धर्म और अधर्म	जन्म-मरण	जन्म और मरण
खरा-खोटा	खरा और खोटा	रात-दिन	रात और दिन
देश-विदेश	देश और विदेश	नर-नारी	नर और नारी
वेद-पुराण	वेद और पुराण	गुण-दोष	गुण और दोष
हानि-लाभ	हानि और लाभ	अन्न-जल	अन्न और जल
धूप-दीप	धूप और दीप	धनी-निर्धन	धनी और निर्धन
खट्टा-मीठा	खट्टा और मीठा	गंगा-जमुना	गंगा और जमुना

द्वन्द्व समास के तीन भेद होते हैं जो कि इस प्रकार हैं—

- (i) इतरेतर द्वन्द्व समास
- (ii) वैकल्पिक द्वन्द्व समास
- (iii) समाहार द्वन्द्व समास

(i) इतरेतर द्वन्द्व समास—इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे—
माता-पिता (माता और पिता), अपना-पराया (अपना और पराया), कागज-

पैन (कागज और पैन)। इस समास की रचना ‘और’, ‘एवं’ ‘व’ ‘तथा’ का लोप कर देने से होती है।

इतरेतर द्वन्द्व समास के अन्य उदाहरण

1. दूध और रोटी (दूध-रोटी)
2. धन और दौलत (धन-दौलत)
3. सेठ और साहूकार (सेठ-साहूकार)
4. कंद और मूल (कंद-मूल)
5. राधा और कृष्ण (राधा-कृष्ण)
6. राजा और रंक (राजा-रंक)
7. आगा और पीछा (आगा-पीछा)
8. दाल और रोटी (दाल-रोटी)
9. काला और सफेद (काला-सफेद)
10. हरि और हर (हरि-हर)
11. हित और अहित (हित-अहित)
12. छल और कपट (छल-कपट)
13. हष्ट और पुष्ट (हष्ट-पुष्ट)
14. अन्न और जल (अन्न-जल)
15. उचित और अनुचित (उचित-अनुचित)
16. नीचे और ऊपर (नीचे-ऊपर)
17. आना और जाना (आना-जाना)
18. आचार और व्यवहार (आचार-व्यवहार)
19. सावधान और असावधान (सावधान-असावधान)
20. बाप और दादा (बाप-दादा)
21. सीधा और सादा (सीधा-सादा)
22. राम और लक्ष्मण (राम-लक्ष्मण)
23. गुण और दोष (गुण-दोष)
24. जय और पराजय (जय-पराजय)
25. लोक और परलोक (लोक-परलोक)
26. पाप और पुण्य (पाप-पुण्य)
27. मान और अपमान (मान-अपमान)
28. रात और दिन (रात-दिन)
29. दाल और भात (दाल-भात)
30. धनुष और बाण (धनुर्बाण/धनुष-बाण)
31. सदाचार और कदाचार (सदाचार-कदाचार)
32. लेन और देन (लेन-देन)
33. देव और असुर (देव-असुर)
34. जन्म और मरण (जन्म-मरण)
35. जल और वायु (जलवायु)
36. तन और मन (तन-मन)
37. खान और पान (खान-पान)
38. लघु और दीर्घ (लघु-दीर्घ)
39. ग़रीब और अमीर (ग़रीब-अमीर)
40. अल्पायु और दीर्घायु (अल्पायु-दीर्घायु)
41. खट्टा और मीठा (खट्टा-मीठा)
42. तिल और चावल (तिल-चावल)
43. सुन्दर और असुन्दर (सुन्दर-असुन्दर)
44. देश और विदेश (देश-विदेश)

(फारसी तद्वित विशेषण शब्द)

आना	रोज़	रोज़ाना	साल	सालाना
मर्द	मर्दा	मर्दाना	जन	जनाना
इंदा	कार	कारिंदा	शर्म	शर्मिन्दा
आवार	जोर	जोरावर	दस्त	दस्तावर
नाक	दर्द	दर्दनाक	खतरा	खतरानाक
ई	खून	खूनी	ईरान	ईरानी
	देहात	देहाती	आसमान	आसमानी
ईन	रंग	रंगीन	शौक	शौकीन
मंद	अकल	अकलमंद	दौलत	दौलतमंद
वार	उम्मीद	उम्मीदवार	तफसील	तफसीलवार
वर	जान	जानवर	नाम	नामवर
ईना	कम	कमीना	माह	महीना
जादह	हराम	हरामजादा	शाह	शाहजादा
अंदाज	तीर	तीरंदाज	गोला	गोलंदाज
साज़	जाल	जालसाज़	घड़ी	घड़ीसाज़
बर	पैगाम	पैगंबर	दिल	दिलबर
बरदार	हुक्का	हुक्कबरदार	खास	खासबरदार
बाज़	दगा	दगाबाज़	नशा	नशेबाज़
बीन	खुर्द	खुर्दबीन	तमाशा	तमाशबीन
गाह	ईद	ईदगाह	बंदर	बंदगाह
इस्तान	कब्रि	कब्रिस्तान	तुर्क	तुर्किस्तान

(अरबी भाषा के तद्वित प्रत्यय युक्त शब्द)

आनी	जिस्म	जिस्पानी	रूह	रूहानी
इयत	इंसान	इंसानियत	कैफ	कैफियत
ई	इलाम	इल्मी	अरब	अरबी
	ईसा	ईसवी	इंसान	इंसानी
ची	मशअल (मशाल)	मशअलची (मशालची)	खजाना	खजानची
म	बैग	बैगम	बाबर	बावरची
			खान	खानम

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

1. ‘बैठक’ शब्द में कौन सा प्रत्यय है?

- (A) बै (B) बैठ
(C) अक (D) क

[D]

व्याख्या—बैठक शब्द में ‘क’ प्रत्यय है। ‘क’ प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं—घटक, ठंडक, शतक सप्तक आदि।

2. निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है?

- (A) वार्षिक (B) भिड़ित
(C) लड़ाई (D) मिलाप

[A]

व्याख्या—संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्वित कहा जाता है। तद्वित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तद्वितात कहते हैं। वार्षिक शब्द में ‘इक’ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शेष में कृत प्रत्यय है।

जैसे— भिड़ + अंत = भिड़ित

लड़ + आई = लड़ाई

मिल + आप = मिलाप

3. “अंतिम” में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है?

(A) अ

(C) इम

(B) म

(D) तिम

[C]

व्याख्या—‘अंतिम’ शब्द में ‘इम’ प्रत्यय तथा ‘अंत’ मूलशब्द है।

4. ‘धार्मिक’ में प्रत्यय है—

- (A) क (B) इक
(C) मिक (D) धर्म

[B]

व्याख्या—‘धार्मिक’ शब्द में ‘इक’ प्रत्यय लगा हुआ है। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अन्त में लगने वाले प्रत्ययों को तद्वित प्रत्यय कहा जाता है तथा संस्कृतनिष्ठ संज्ञाओं के अन्त में तद्वित प्रत्यय लगाने से भाववाचक, अपत्यवाचक तथा गुणवाचक विशेषण बनते हैं। ‘इक’ संस्कृतनिष्ठ तद्वित प्रत्यय है जो ‘धर्म’ संज्ञा के पीछे जुड़कर गुणवाचक विशेषण ‘धार्मिक’ बन जाता है।

5. जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के अन्त में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं?

- (A) तद्वित प्रत्यय (B) कृदंत प्रत्यय
(C) संस्कृत प्रत्यय (D) अनीय प्रत्यय

[A]

15

विराम चिह्न

विरामचिह्नों के प्रयोग और नियम

विरामचिह्नों की आवश्यकता—‘विराम’ का शाब्दिक अर्थ होता है, ठहराव। जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं-न-कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जब हम काम करते-करते थक जाते हैं, तब मन आराम करना चाहता है। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है। पहले विराम होता है, फिर आराम। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता है।

लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक यों ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूरा (पूर्ण) विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा की गति उस एक-जैसी नहीं होती। यही कारण है कि लेखनकार्य में भी विरामचिह्नों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि इन चिह्नों का उपयोग न किया जाय, तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य एक-दूसरे से उलझ जायेंगे और तब पाठक को व्यर्थ ही माथापच्ची करनी पड़ेगी। पाठक के भाव-बोध को सरल और सुवोध बनाने के लिए विरामचिह्नों का प्रयोग होता है। सारांश यह कि वाक्य के सुन्दर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विरामचिह्नों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गयी है। प्रत्येक विरामचिह्न लेखक की विशेष मनोदेश का एक-एक पड़ाव है, उसके ठहराव का संकेतस्थान है।

भाषा के लिखित रूप में रुकने (ठहरने) अथवा विराम देने के लिए जिन संकेत-चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ‘विराम चिह्न’ कहते हैं।

बोलते समय भाषा को प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए कहीं क्षणभर तो कहीं अधिक देर रुकते हैं अथवा मनोभावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए किसी शब्द, वाक्यांश या वाक्य पर अधिक बल देते हैं तो किसी पर कम। इससे भाषा की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है और उसकी प्रस्तुति अर्थपूर्ण एवं आसानी से ग्रहण करने-योग्य हो जाती है। मौखिक भाषा के इस उतार-चढ़ाव, गति, विराम (ठहराव), स्पष्टता आदि को लिखित भाषा में विराम-चिह्नों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए—

- (क) इधर-उधर घूमो मत जाओ। (अस्पष्ट वाक्य)
 - (ख) इधर-उधर घूमो, मत जाओ। (रुकने का संकेत)
 - (ग) इधर-उधर घूमो मत, जाओ। (जाने का संकेत)
- उपर्युक्त वाक्यों में एक ही विराम चिह्न के भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रयोग से एक ही वाक्य के अर्थ भिन्न-भिन्न हो गए हैं। अतः भाषा में विराम चिह्नों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

हिन्दी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिह्न निम्नलिखित हैं—

1. पूर्ण विराम (।)
 2. अल्प विराम (,)
 3. अद्व विराम (;)
 4. उप विराम (:)
 5. प्रश्न चिह्न (?)
 6. विस्मयादिबोधक चिह्न (!)
 7. योजक चिह्न (-)
 8. निर्देशक चिह्न (—)
 9. उद्धरण चिह्न (“.....” अथवा ‘...’)
 10. विवरण चिह्न (:- अथवा : अथवा -)
 11. कोष्ठक ({()})
 12. लाघव चिह्न (0)
 13. हंसपद या त्रुटिप्रक (^)
1. पूर्ण विराम (।)—प्रश्नसूचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है; जैसे—भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना है।
 2. अल्प विराम (,)—अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है—
 - (i) समान महत्व के शब्दों एवं वाक्यों को अलग करने के लिए; जैसे—इस युग में साहित्य, मूर्तिकला, वास्तुकला तथा चित्रकला के क्षेत्र में अद्भुत उन्नति हुई।
 - (ii) जटिल वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए; जैसे—उसने कहा तो था, किन्तु मैं भूल गया।
 - (iii) पत्र लिखते समय निम्नलिखित स्थानों पर अलग विराम का प्रयोग किया जाता है—
 - (क) औपचारिक पत्र—
सेवा में,

त्रीमान् प्रधानाचार्य जी,
राजकीय पब्लिक स्कूल, जयपुर

महोदय,

(ख) अनौपचारिक पत्र—

387, सेक्टर 7, अजमेर
प्रिय अनुज,

अंग्रेजी शब्द	पारिभाषिक शब्द	अंग्रेजी शब्द	पारिभाषिक शब्द
Non-payment	अशोधन	Plaintiff	वादी
Non-productive	अनुत्पादक	Plenary	पूर्ण
Non qualifying service	अनर्हकारी सेवा	Prescribed	निर्धारित
Note of protest	प्रतिवाद-पत्र	Presumption	अनुमान/प्रकल्पना
Note sheet	टिप्पणी-पत्र	Procedure	प्रक्रिया/कार्यविधि
Noting and drafting	टिप्पण और मसौदा लेखन	Procure	वसूल करना
Non-negotiable	अपर क्राम्य	Prohibitory	निषेधात्मक
Null and void	अकृत और शून्य	Project	परियोजना
Numerals	संख्यावाचक		
Numismatist	मुद्राशास्त्री		
Nursing	उपचर्या/उपचार	Qualify	अहंता प्राप्त करना
Nutrition	पोषण	Qualifying examination	अहंकारी परीक्षा
O			
Oath of allegiance	निष्ठा-शपथ	Quantum	प्रमात्रा
Oath of office	पद-शपथ	Quorum	कोरम/गणपूर्ति
Object	प्रयोजन/उद्देश्य/विरोध करना	Quo warranto	अधिकार-पृच्छा
Objection memo	आपत्ति पत्रक		
Obligatory	अनिवार्य/बाध्यकारी		
Observance	पालन	Radical	मूलभूत
Obsolete	अप्रचलित/लुप्त	Random	यादृच्छिक
Occupy	अधिकार में करना	Ranger	रेंजर/वनपाल
Offer	अर्पण/भेट/प्रस्ताव	Rank	पद/श्रेणी
Official	शासकीय/सरकारी	Rate payer	करदाता
Official duty	पदीय कर्तव्य	Ratification	अनुसमर्थन
Official language	राजभाषा	Rational	युक्तिमूलक
Omitted	छोड़ा हुआ	Recommendation	अनुशंसा/सिफारिश
Outlaw	बहिष्कृत/डाकू	Record-Keeper	अभिलेखपाल
Output	उत्पादन	Recovery of dues	देय की वसूली
Overhead charge	ऊपरी खर्च	Recurring	आवर्ती
Overhauling	पूरी मरम्मत	Redeem	छुड़ाना
Overtime	अधिसमय/अति समय	Refutation	खंडन
P			
Pact	समझौता	Registration	पंजीयन
Parity	समानता	Regulations	अधिनियम
Partial	आंशिक	Rehabilitation	पुनर्वास/पुनःस्थापना
Party	पक्षकार	Rejoinder	प्रत्युत्तर
Passage-money	मार्ग-व्यय	Relaxation	छूट
Patent	पेटेंट/एक्स्क्लूसिव	Removal	निष्कासन
Pension	निवृत्ति वेतन	Render	देना
Per bearer	वाहक द्वारा	Renovation	नवीकरण
Per capita	प्रतिव्यक्ति		
Per diem	प्रतिदिन	Sanction	संस्वीकृति
Performance register	निष्पादन रजिस्टर	Scarcity	कमी/अभाव
Plain	मैदान/सीधा	Schedule	अनुसूची
Plaint	वादपत्र	Security	प्रतिभूति/जमानत/सुरक्षा
		Select committee	प्रवर समिति
		Self-contained	स्वतः पूर्ण/आत्म-निर्भर
		Seminar	अध्ययन-गोष्ठी/परिसंवाद
		Smuggling	तस्कर-व्यापार

बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर

1. 'आँसू पीकर रह जाना' मुहावरे का सही अर्थ है—
 (A) आँसू बहने न देना।
 (B) अन्न के अभाव में आँसू से भूख मिटाना।
 (C) गुस्सा होना।
 (D) चुपचाप दुःख सह लेना। [D]
व्याख्या—'आँसू पीकर रह जाना' मुहावरे का अर्थ है— (चुपचाप दुःख सह लेना) वाक्य प्रयोग = बेटे की मौत पर पंडित जी आँसू पीकर रह गये। जबकि 'लाल पीला होना' का अर्थ गुस्सा होना होता है।
 2. 'आँधी आवै बैठ गँवावे' लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है—
 (A) संकट से मुँह फेरना।
 (B) विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार
 (C) विपत्ति से टकराने का हौसला रखना
 (D) आँधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना [B]
व्याख्या—'आँधी आवै बैठ गँवावे' लोकोक्ति का अर्थ है— विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना।
 3. 'किताब का कीड़ा होना' का उपयुक्त अर्थ है—
 (A) बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला
 (B) अनुपयुक्त जगह रहने वाला
 (C) बहुत अधिक पड़ने वाला
 (D) ज्ञान का दुश्मन
व्याख्या—किताब का कीड़ा होना' का अर्थ है— बहुत अधिक पचने वाला।
वाक्य प्रयोग— वह तो किताबी कीड़ा है किसी खेल कूद में नहीं रहता। अन्य विकल्प असंगत हैं।
 4. 'कच्चा चिट्ठा खोलना' का उपयुक्त अर्थ है—
 (A) सारा भेद खोल देना (B) कच्चे काम को पक्का करना
 (C) भेद छिपाना (D) कान का कच्चा होना [A]
व्याख्या—'कच्चा चिट्ठा खोलना' का अर्थ है—सारा भेद खोल देना।
वाक्य प्रयोग—मेरा हिस्सा दे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूँगा। जबकि कान का कच्चा होना का अर्थ— हर एक की बात मान लेना।
 5. 'त्रिशंकु होना' का उपयुक्त अर्थ है—
 (A) चारों ओर ध्यान होना (B) किसी अन्य का न रहना
 (C) तीन तरफ ध्यान होना (D) केवल ऊपर देखना [B]
व्याख्या—किसी अन्य का न रहना—'त्रिशंकु होना' का उपयुक्त अर्थ है।
 6. 'घाट घाट का पानी पीना' लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है—
 (A) अनेक क्षेत्रों का अनुभव
 (B) जीवन में स्थिरता का अभाव
 (C) दर का भटकना
 (D) परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना [A]
व्याख्या—'घाट-घाट का पानी पीना' का अर्थ है—अनेक क्षेत्रों का अनुभव या संसार का अनुभव प्राप्त करना।
वाक्य प्रयोग—मुझे किसी मामले में कम मत आँको, मैंने भी घाट-घाट का पानी पिया है।
 7. 'वचन से फिरना' के लिए उचित मुहावरा चुनें।
- (A) थूककर चाटना (B) तलवे चाटना
 (C) दमड़ी के तीन होना (D) दाँत तालू में जमना [A]
व्याख्या—'वचन से फिरना' के लिए उचित मुहावरा 'थूककर चाटना होगा। जबकि 'तलवे चाटना' का अर्थ खुशामद करना होता है।
 'दमड़ी के तीन होना' का अर्थ होगा— सस्ते होना, 'दाँत तालू में जमना' का अर्थ होगा— बुरे दिन आ जाना।
 8. 'ठीक-ठीक न्याय हो जाना' के लिए उचित लोकोक्ति चुनें।
 (A) तेल देखो तेल की धार देखो
 (B) दुल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल
 (C) दूध का दूध पानी का पानी
 (D) तू डाल डाल, मैं पात-पात [C]
व्याख्या—'ठीक-ठाक न्याय हो जाना' के लिए उचित लोकोक्ति 'दूध का दूध पानी का पानी' होगी। अन्य विकल्प इस प्रकार हैं— तेल देखो तेल की धार देखो—सावधानी और धैर्य से काम लो। दुल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल—जिसका जो हक है वह उसे नहीं मिलता।
 तू डाल डाल, मैं पात-पात—एक से बढ़कर दूसरा चालाक।
 9. नीचे दिए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानें।
 (A) अपने पैरों खड़ा होना = स्वावलंबी होना
 (B) आँच न आने देना = जरा भी कष्ट या दोष न आने देना
 (C) आसन डोलना = विचलित न होना
 (D) आसमान टूट पड़ना = गजब का संकट पड़ना [C]
व्याख्या—'अपने पैरों खड़ा होना' का अर्थ स्वावलंबी होना, 'आँच न आने देना' का अर्थ 'जरा भी कष्ट एवं दोष न आने देना' तथा 'आसमान टूट पड़ना' का अर्थ 'गजब का संकट पड़ना' है। जबकि आसन डोलना का अर्थ 'मन का विचलित होना' है। अतः विकल्प (C) मुहावरे एवं उसके अर्थ का गलत जोड़ा है।
 10. 'आँख का अंधा नाम नयनसुख' लोकोक्ति का सही अर्थ चुनें।
 (A) गुण के अनुरूप नाम होना
 (B) गुण के विरुद्ध नाम होना
 (C) मूर्ख होना
 (D) मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति [B]
व्याख्या—'आँख का अंधा नाम नयनसुख' लोकोक्ति का अर्थ है 'गुण के विरुद्ध नाम होना'
 11. 'लाल पीला होना' मुहावरे का सही अर्थ है
 (A) बहुत गुस्सा होना (B) बहुत प्रसन्न होना
 (C) लज्जित होना (D) बीमार होना [A]
व्याख्या—'लाल पीला होना' मुहावरे का सही अर्थ है बहुत गुस्सा होना। शेष इस प्रकार है—
 फूले न समाना—बहुत प्रसन्न होना,
 घड़ों पानी पड़ना—लज्जित होना
 12. 'बहुत कंजूसी' का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है—
 (A) घर की मुर्गी दाल बराबर
 (B) चट मंगनी पट ब्याह

21

राजभाषा हिन्दी - संवैधानिक स्थिति

1.0 संविधान में हिन्दी (अनुच्छेद 343 से 351 तक)

स्वतंत्रता संग्राम के दिनों अंग्रेजों के कूर अत्याचार व दमनात्मक शासन के कारण भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के प्रति गहरी घृणा ढा गई थी। विदेशियों से मुक्ति पाने की छटपटाहट से राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। स्वराज्य का सपना, स्वदेशी की चाहत, स्वभाषा की मिठास और स्वतंत्रता की आकांक्षा इसी समय की उपज है। ‘स्वदेशी का स्वीकार व विदेशी का बहिष्कार’ के नारे में भाषाई चेतना भी शामिल थी। सारा देश जब एक राजनीतिक इकाई में तबदील हो गया तब सभी के बीच एक सम्पर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अंग्रेजों के इस शासन काल में राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी। अंग्रेज और उनकी अंग्रेजी हमारी गुलामी का प्रतीक बन गये थे। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसी सोच को अभिव्यक्त करते हुए “राष्ट्रभाषा का इतिहास” में लिखा है : “अनेक बंगाली, गुजराती, पंजाबी, और महाराष्ट्रीय नेता यह उद्योग कर रहे थे कि अपने राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए जो अन्तरप्रान्तीय व्यवहार का माध्यम बन सके और आगे चलकर जब देश स्वतंत्र हो, यही अपनी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी भाषा का स्थान ग्रहण करके देश की केन्द्रीय सरकार की भाषा बने।” इसी को ध्यान में रखते हुए रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिमचन्द्र चैटर्जी, महात्मा गांधी आदि महानुभावों ने सर्वानुमति से हिन्दी को ‘राष्ट्रभाषा’ स्वीकार कर लिया। हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित करने का सबसे प्रबल आधार भी यही है।

आज के भारतीय सन्दर्भ में ‘हिन्दी’ हमारी सम्पर्क भाषा ही नहीं, लोक-स्वीकृति के आधार पर ‘राष्ट्रभाषा’ और भारतीय संघ की ‘राजभाषा’ भी है। ‘राष्ट्रभाषा’ का सीधा अर्थ है राष्ट्र की वह भाषा जिसके माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं सम्पर्क किया जा सके। जब किसी देश में कोई भाषा अपने क्षेत्र की सीमा को लाँचकर अन्य भाषा के क्षेत्रों में प्रवेश करके वहाँ के

जन मानस के भाव और विचारों का माध्यम बन जाती है तब वह राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान प्राप्त करती है। ‘राजभाषा’ का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा। राजभाषा उसे कहते हैं जो केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र-व्यवहार, राजकार्य और अन्य सरकारी लिखा-पढ़ी के कार्य में लाई जाए। इस दृष्टि से हमारे संविधान की अष्टम अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाएँ भारत वर्ष की राजभाषाएँ हैं। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रभाषा लोक संवेदना को अभिव्यक्त करती है जबकि राजभाषा प्रशासन के स्पंदन को। इस का यह अर्थ नहीं कि राजभाषा का कोई सम्बन्ध जनता से नहीं। वस्तुतः राजभाषा सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सदियों से भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित और लोक व्यवहार में प्रचलित हिन्दी पिछले कई दशकों से राजभाषा के संवैधानिक दायरे में भी विकासोन्मुख है। राष्ट्रभाषा की मूल प्रकृति और राजभाषा की संवैधानिक स्थिति से परिचित होने से पहले राजभाषा हिन्दी के स्वरूप को जानना ज़रूरी है।

1.1 राजभाषा हिन्दी का स्वरूप एवं क्षेत्र

स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन काल में समस्त राजकाज अंग्रेजी में होता

था। सन् 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् महसूस किया गया कि स्वतंत्र भारत देश की अपनी राजभाषा होनी चाहिए; एक ऐसी राजभाषा जिससे प्रशासनिक तौर पर पूरा देश जुड़ा रह सके। भारतवर्ष के विचारों की अभिव्यक्ति कनेवाली सम्पर्क भाषा ‘हिन्दी’ को ‘राजभाषा’ के रूप में स्वतंत्र भारत के संविधान में 14 सितम्बर, 1949 में राजभाषा समिति ने मान्यता दी। संविधान सभा में भारतीय संविधान के अन्तर्गत हिन्दी को राजभाषा घोषित करने को प्रस्ताव दक्षिण भारतीय नेता गोपालस्वामी अच्युद्गार ने रखा था। इस हिन्दी को देश की संस्कृति, सभ्यता, एकता तथा जनता की समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भाषा के रूप में भारतीय संविधान ने देखा है। 26 जनवरी, 1950 से संविधान लागू हुआ और हिन्दी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली।

हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिन्दी का परम्परागत अर्थ, स्वरूप तथा व्यवहार क्षेत्र व्यापकर हो गया। हिन्दी के जिस रूप को राजभाषा स्वीकार किया गया है, वह वस्तुतः खड़ी बोली हिन्दी का परिनिष्ठित रूप है। जहाँ तक राजभाषा के स्वरूप का प्रश्न है इसके सम्बन्ध में संविधान में कहा गया है कि इसकी शब्दावली मूलतः संस्कृत से ली जाएगी और गौणतः सभी भारतीय भाषाओं सहित विदेश भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों को अंगीकार किया जा सकता है। राजभाषा शब्दावली(जैसे : अधिसूचना, निदेश, अधिनियम, आकस्मिक अवकाश, अनुदान आदि) को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी एक अलग प्रयुक्ति (register) है। शब्द निर्माण के सम्बन्ध में राजभाषा के नियम बहुत ही लचीले हैं। यहाँ किसी भी दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों की संधि आराम से की जा सकती है। जैसे ‘उप जिला मजिस्ट्रेट’, ‘रेलगाड़ी’ आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि राजभाषा के अन्तर्गत शब्द निर्माण के नियम बहुत ही लचीले हैं।

राजभाषा का सम्बन्ध प्रशासनिक कार्य प्रणाली के संचालन से होने के कारण उसका सम्पर्क बुद्धिजीवियों, प्रशासकों, सरकारी कर्मचारियों तथा प्रायः शिक्षित समाज से होता है। स्पष्ट है कि राजभाषा जनमानस की भावनाओं-सपनों-चिन्तनों से सीधे-सीधे न जुड़कर एक अनौपचारिक माध्यम के रूप में प्रशासन तथा प्रशासनिक के बीच सेतु का काम करती है। बावजूद इसके सरकारी की नीतियों को जनता तक पहुँचाने का यह एक मात्र माध्यम है। साधारण जनता में प्रशासन के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन का सारा कामकाज जनता की भाषा में हो जिससे प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटा जा सके। यह राजभाषा हिन्दी सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होकर ‘कार्यालयी हिन्दी’, ‘सरकारी हिन्दी’, ‘प्रशासनिक हिन्दी’ नाम से हिन्दी के एक नए स्वरूप को रेखांकित करती है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी पत्र व्यवहार, प्रशासन, न्याय-व्यवस्था तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें पारिभाषिक शब्दावली का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। अधिकतर मामले में अनुवाद का सहारा लिये जाने के कारण यह ‘कार्यालयी हिन्दी’ अपनी प्रकृति में निहायत ही शुष्क, अनौपचारिक तथा सूचना प्रधान होती है। ‘राजभाषा हिन्दी’ को प्रयोगात्मक स्तर रेखांकित करने वाली ‘कार्यालयी हिन्दी’ की विशिष्टताएँ

योजना भवन

अथवा

भारत सरकार

योजना भवन

पत्र संख्या 445/44/योजना-2022

३. प्रेषक—जो अधिकारी सरकारी पत्र प्रेषित करता है वह प्रायः अपना नाम, उपाधियाँ तथा पद आदि का उल्लेख करता है। यह भी दाँयी ओर लिखे जाते हैं।

जैसे—राम मोहन, आई.ए.एस.

सचिव

वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

अथवा

सचिव

वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

४. प्रेषिती—पत्र प्रेषक का नाम, पद आदि लिखने के बाद उसके ठीक नीचे सेवा में शब्द लिखर उसके नीचे प्रेषिती (जिसको पत्र लिखा जा रहा हो) का नाम, पद और पता लिख दिया जाता है। जैसे—

सेवा में,
हिन्दी अधिकारी,
एन.टी.पी.सी.,
नई दिल्ली।

५. स्थान और दिनांक—प्रेषक और प्राप्तकर्ता के नाम, पते के उपरान्त उसके नीचे पत्र के दाहिनी ओर स्थान और दिनांक लिखे जाते हैं। जैसे—
नई दिल्ली,

24 जून, 2022

६. विषय—तदनन्तर पृष्ठ के बीच में पत्र के विषय का उल्लेख किया जाता है। जैसे—जिस विषय के सम्बन्ध में पत्र लिखा जा रहा है उसके बारे में एक-दो पंक्तियों में संक्षेप में उल्लेख कर दिया जाता है। इससे पत्र पाने वाले को पत्र का थोड़ा आभास हो जाता है। जैसे—

विषय—विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु।

७. सम्बोधन—विषय का विवरण देने के उपरान्त सम्बोधनसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कार्यालयी पत्रों में इन शब्दों के प्रयोग का एक निश्चित विधान है। यदि पत्र सरकारी अधिकारियों के नाम भेजा जाए तो महोदय शब्द का प्रयोग होता है। यदि पत्र प्राप्तकर्ता कोई गैर सरकारी व्यक्ति हो तो ‘प्रिय महोदय’ और पत्र किसी संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के नाम पर लिखा जा रहा हो तो महानुभाव शब्द का प्रयोग होता है। एक ही विभाग में यदि पत्र-व्यवहार हो रहा हो तो पत्र में सम्बोधनसूचक शब्द नहीं रहते।

८. निर्देश—पत्र का आरम्भ करने से पूर्व संदर्भ के रूप में प्राप्त पत्र अथवा पिछले पत्रों की संख्या और उनके दिनांकों आदि का उल्लेख कर देना आवश्यक है। पिछले पत्र व्यवहार का उल्लेख सुनिश्चित, सही और सुस्पष्ट होना चाहिए।

९. पत्र का कलेवर—यह पत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंश है जिसे प्रेषिती के पूर्व पत्र व्यवहार का संदर्भ देने के तुरंत बाद ही यह लिखते हुए कि आपके दिनांक 7.8.2022 के 243/525 योजना/2021 के उत्तर में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ कि.....या मुझे आपसे विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना है कि.....। पत्र प्रेषक की ओर से प्रारम्भ किया जाना चाहिए। इस अंश में पत्र का पूरा मजमून होता है। इसमें प्रेषिती के पत्र में उठायी सारी

शंकाओं, जिज्ञासाओं और जानकारियों का संतोषजनक एवं समुचित समाधान दिया जाता है।

१०. अंतिम प्रशंसात्मक भाषा—पत्र के मूल विषय की समाप्ति के उपरान्त अंतिम प्रशंसात्मक शब्द लिखे जाते हैं। इसके लिए प्रायः ‘भवदीय’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि पत्र व्यवहार एक ही विभाग के अधिकारियों के बीच हो रहा है तो इस प्रकार के प्रशंसात्मक शब्द नहीं लिखे जाते।

११. हस्ताक्षर—‘भवदीय’ शब्द के नीचे प्रेषक अपने हस्ताक्षर करता है। यह पत्र के दाँयी ओर ठीक उपर्युक्त शब्दों के नीचे होते हैं। हस्ताक्षर यदि अस्पष्ट हो तो कोष्ठक में प्रेषक का नाम भी लिख दिया जाता है और उसके उपरान्त अधिकारी की पद-संज्ञा लिख दी जाती है। यदि पत्र उच्च अधिकारी की ओर से भेजा जा रहा है तो कृते शब्द लिखकर उक्त अधिकारी की पद-संज्ञा लिख दी जाती है। जैसे—

भवदीय

रंजन शर्मा

उपसूचनाधिकारी

अथवा

रंजन शर्मा

कृते/सूचनाधिकारी

१२. पृष्ठांकन—सरकारी कार्यालयों में कई बार एक ही पत्र की कई प्रतियाँ भिन्न-भिन्न अधिकारियों की सूचना अथवा आवश्यक कार्रवाही के लिए भेजी जाती हैं। इन भेजी गयीं प्रतियों के प्राप्तकर्ताओं के पद, विभाग आदि के पते प्रति पर दिए जाते हैं, जिससे कि पत्र पाने वाला व्यक्ति जान सके कि प्रतियाँ कहाँ-कहाँ गयी हैं। इसमें ऊपर तो भेजे जाने वाले पते की प्रतिलिपि होती है और इसके ठीक बाद पृष्ठांकन किया जाता है।

पृष्ठांकन में पत्र संख्या, दिनांक आदि का उल्लेख होता है और अंत में अधिकारी के हस्ताक्षर व पद संख्या आदि होते हैं। जैसे—

संख्या 108/24/2022

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2022

निम्नलिखित को प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:









1.
2.
3.
4.
- राज जैन
- सचिव, भारत सरकार।

१३. संलग्न सूची—पत्र के अन्त में कागज के बाँधी ओर हस्ताक्षर और पद नाम के उपरान्त, थोड़ा स्थान छोड़कर नीचे, पत्रों के साथ संलग्न पत्रों, परिपत्रों तथा अन्य कागजों की संख्या दे दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्राप्तकर्ता संलग्न कागजों की सही संख्या जान सके।

कार्यालयी पत्र के कलेवर में अधिक प्रयोग में आने वाले वाक्य

1. उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक के पत्र सं. के संदर्भ में मुझे यह कहने/सूचित करने का निदेश/अनुदेश हुआ है कि
2. इस कार्यालय को दिनांक के समसंख्यक पत्र में मांगी गई सूचना शीघ्र भेजें।
3. आपके दिनांक के पत्र सं. की पावती भेजने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि
4. आपके दिनांक के पत्र सं. में

Best Books on CET for 10+2 & Graduation Level According to 100% Syllabus



Download Free Digital Copy

Current Affairs (समसामयिकी)

“वार्षिकांक” 1 Oct. 2021 से 30 Sep. 2022

Oct. 2022 की मासिक (Monthly) समसामयिकी की Free Digital Copy भी प्राप्त कर सकते हैं।

दक्ष प्रकाशन

(A Unit of College Book Centre)

A-19 सेठी कॉलोनी, जयपुर (राज.)

फोन नं. 0141-2604302

Code No. D-654

₹ 440/-

इस पुस्तक को ONLINE खरीदने हेतु

WWW.DAKSHBOOKS.COM

पर ORDER करें

★ SPECIAL DISCOUNT + FREE DELIVERY ★